राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 962/2019

डॉ. सुरेन्द्र महलावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.04.2019
आदेश की दिनांक : 28.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अपील में यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निस्तारित कर स्टेप अप पे उससे कनिष्ठ के समान देते हुए उसका उचित वेतनमान निर्धारण किया जावे एवं शेष राशि के भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर दिनांक 06.11.1984 को नियुक्त हुआ था और दिनांक 31.08.2016 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। उनका कथन है कि अपीलार्थी के बाद कनिष्ठ कार्मिक की नियुक्ति आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर हुई थी और वह सातवें वेतन आयोग के आधार पर अपीलार्थी से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है। जबकि जो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 32 के प्रावधानों के अनुरूप उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक स्टेपिंग अप पे प्राप्त करने के हकदार है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग का विधिक नोटिस दिनांक 25.03.2019 को अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को भिजवाया और अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निस्तारित कर स्टेप अप पे उससे कनिष्ठ के समान देते हुए उसका उचित

वेतनमान निर्धारण किया जावे एवं शेष राशि के भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त की गई मांग राजस्थान सिविल सेवा (वेतन निर्धारण) नियम, 2017 के विपरीत है और नियम 2017 के शेड्यूल 6 में बिंदु संख्या 12 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि *"Finacial upgradation under the ACP's shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. As such, there shall be no additonal financial upgradation for the senior employees on the ground that the junior employee in the Level has got Higher Level under the ACP's."* वर्तमान प्रकरण में कनिष्ठ कार्मिक को दिनांक 01.01.2016 के बाद एसीपी का लाभ दिया गया है। जबकि अपीलार्थी पूर्व में ही तृतीय एसीपी का लाभ ले चुका है, जिसके कारण कनिष्ठ कार्मिक का वेतन अपीलार्थी से अधिक है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर दिनांक 06.11.1984 को नियुक्त हुआ था और दिनांक 31.08.2016 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी के बाद नियुक्ति कनिष्ठ कार्मिक सातवें वेतन आयोग के आधार पर अपीलार्थी से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है। जबकि जो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 32 के प्रावधानों के अनुरूप उचित नहीं है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा स्टेप अप पे के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को दिए गए अभ्यावेदन का निस्तारण हेतु प्रार्थना किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में हम प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा स्टेप अप पे के संबंध में जो अभ्यावेदन विभाग को प्रस्तुत किया गया है, उसे न्यायिक दृष्टांतों एवं राज्य सरकार के नियमों/परिपत्रों एवं दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दो माह में निस्तारित करते हुए आख्यात्मक आदेश जारी कर अपीलार्थी को सूचित करें। उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य